

**आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आवेदन-पत्र**  
**समाज कल्याण विभाग एवं महिला वाल विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली**

(सभी आवेदकों को कॉलम नम्बर 1 से 10 तक की सूचना भरना अनिवार्य है)

विधान सभा क्षेत्र सं०

आवेदन पत्र सं०

1. योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है:
2. विभाग का नाम :
3. आवेदक का नाम (स्पष्ट एवं साफ अक्षरों में भरे) \_\_\_\_\_ लिंग \_\_\_\_\_
4. पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम :
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य: \_\_\_\_\_
6. जन्म तिथि: \_\_\_\_\_ वर्तमान आयु: \_\_\_\_\_
7. निवास स्थान का पता: मकान सं० \_\_\_\_\_ गली रोड सं० \_\_\_\_\_ घटाक सं० \_\_\_\_\_  
 झुग्गी बस्ती/कलस्टर/पुनर्वास कालोनी/जेजे कालोनी/गांव का नाम: \_\_\_\_\_  
 इलाका: \_\_\_\_\_ ज़िला: \_\_\_\_\_
- पिन कोड: \_\_\_\_\_ आसपास का पहचान चिन्ह: \_\_\_\_\_
- फोन नं०: \_\_\_\_\_ दिल्ली में पाँच साल से रहने का प्रमाण पत्र: \_\_\_\_\_

8. परिवार की सालान आय: \_\_\_\_\_

9. बैंक का खाता संख्या: \_\_\_\_\_ MICR Code:

बैंक का नाम: \_\_\_\_\_ बैंक की शाखा का नाम: \_\_\_\_\_

10. (क) प्रार्थी समाज के किस कमज़ोर वर्ग के अन्तर्गत आता/आती है (जो लागू होता है: उस पर सही का (✓) निशान लगाए)–

1. कुमुदी (आयु 60 वर्ष से अधिक) ( ) 2. विधवा ( ) 3. महिला मुखिया (परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदार) ( ) 4. बच्चा मुखिया (परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदार) विकलांग ( ) 5. विकलांग ( ) 6. बेधर ( ) निरापित महिला/ बच्चा। ( )

(ख) प्रार्थी समाज के किस कमज़ोर वर्ग के अन्तर्गत आता/आती है (जो लागू होता है: उस पर सही का (✓) निशान लगाए)–

1. कुड़ा बीनने वाले ( ) 2. जिम्मार्ण नज़दूर ( ) 3. पोर्टर्स और हमाल ( ) 4. विहाड़ी पर कर्म करने वाले अनियमित नज़दूर ( ) 5. सड़कों पर खोमों वाले/हॉकर्स ( ) 6. घर पर काम करने वाले अनियमित नज़दूर ( ) 7. साइकिल रिक्षाचालक ( ) 8. घरों में चलने वाले छोटे उद्योगों में काम करने वाले अकुशल नज़दूर ( ) 9. घरेलू उद्योगों में काम करने वाले अकुशल नज़दूर ( )

**विकलांगता पेशन के संदर्भ में जानकारी**

विकलांगता का प्रतिशत ( ) विकलांगता का प्रकार (शारीरिक अथवा मानसिकता) \_\_\_\_\_

यदि मानसिक विकलांगता है तो राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र नं० \_\_\_\_\_ (केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विकलांगों के संदर्भ में) \_\_\_\_\_

**विधवा एवं निराश्रित महिलाओं हेतु पेशन के संदर्भ में जानकारी**  
 पति की मृत्यु की तिथि एवं वर्ष ( )

पति का मृत्यु प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ .....  
 निराश्रित होने का प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ .....

**विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के संदर्भ में जानकारी**  
 पुत्री अथवा अनाथ कन्या की जन्म तिथि .....

जन्म तिथि के प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ .....

पति का मृत्यु प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ .....

पुत्री के विवाह की तिथि एवं ( विवाह का कार्ड संलग्न करें )

अनाथ हेतु :- माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

### राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

पति/मुखिया की मृत्यु की तिथि ( )

पति/मुखिया का मृत्यु प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ .....

(ग) मैं यह सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन की गई इस योजना का लाभ मैं किसी भी (विभाग/केन्द्र/राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका एवं अन्य) द्वारा पहले से प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

(घ) मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं। अगर असत्य पाई जाए तो सरकार मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है।

आवेदक/सरकार/अंगूठे का निशान

नोट : केवल मानसिक विकलांग आवेदकों के लिए मान्य

आवेदक का नाम:.....

### घोषणा

### सदस्य दिल्ली विधानसभा/संसद सदस्य/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थिणी द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाएं सत्य हैं। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर मैं प्रार्थी/प्रार्थिणी के आवेदन-पत्र की आर्थिक सहायता हेतु सिफारिश करता/करती हूँ।

(सदस्य दिल्ली विधानसभा/संसद सदस्य/ राजपत्रित अधिकारी)

### विभागीय कार्यालय प्रयोग के लिए

दिनांक \_\_\_\_\_

आवेदन पत्र सं० \_\_\_\_\_

विभाग का नाम:

योजना का नाम:

स्वीकृत और अस्वीकृत:

अस्वीकृत का कारण:

टिप्पणी

सत्यापित करने वाले के हस्ताक्षर

स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

### आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (अनिवार्य)

1. आयु प्रमाण पत्र।
2. दिल्ली में स्थायी रहने का प्रमाण पत्र (पांच साल)
3. ऐक खाते की प्रतिलिपि (एकल खाता) केवल मानसिक विकलागों के लिए संयुक्त खाता की प्रतिलिपि
4. विकलागता प्रमाण पत्र (केवल विकलाग आर्थिक सहायता के लिए)
5. मृत्यु प्रमाण पत्र पति का (विधवा/विधवा की पुत्री की शादी, राष्ट्रीय परिवारिक आर्थिक सहायता के लिए)
6. लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र (विधवाओं की लड़की की शादी के लिए)
7. राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र (केवल 18 वर्ष से अधिक मानसिक विकलागों के लिए अनिवार्य)
1. बृद्धावस्था आर्थिक सहायता के लिए निधारित दस्तावेज़ (नियमानुसार) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ संग्रह करे।
  - (अ) आवेदक की आयु साक्ष्य— (60 वर्ष व अधिक) राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अंतिम कक्षा का रक्कूल छोड़ने का प्रमाण—पत्र, ऐट्रिकुलेशन/10वीं का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, बोटर कार्ड, टीकाकरण, आयु निर्धारण चिकित्सा प्रमाण पत्र, सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा जारी जन्म का स्थान एवं दिनांक दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़।
  - (ब) आवास का प्रमाण पत्र : जो दिल्ली में निवास की कम से कम पांच वर्ष की अवधि दर्शाता हो। परिवार के सदस्यों (यथा उत्तर परिमाणित) में से किसी से संबंधित प्रलेखों में से कोई एक प्रलेख आवास प्रमाण के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा— राशन कार्ड, बोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, कागजात, परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड, दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलिफोन का बिल गैस कनेक्शन की रसीद बैंक/डाक घर की पासबुक, दिल्ली में जारी जाति प्रमाण—पत्र, विधार्थी पहचान पत्र, सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड, संपत्ति दस्तावेज़, कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे यह स्पष्ट हो जिससे दिल्ली में पांच वर्ष रहना स्पष्ट हो।
2. विकलाग आर्थिक सहायता के लिए निधारित दस्तावेज़ (नियमानुसार)
  - (अ) विकलागता प्रमाण पत्र, जो सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलागता प्रमाण पत्र, (शारीरिक विकलागता में 40 प्रतिशत या अधिक, मानसिक विकलागता में 35 प्रतिशत या अधिक)
  - (ब) आवास का प्रमाण बृद्धावस्था पेंशन के अनुसार
  - (स) आयु 0 से 60 वर्ष – आवश्यक दस्तावेज़ बृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत दर्शाये गये दस्तावेजों के अनुसार।

#### प्राप्ति रसीद

आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आवेदन-पत्र  
समाज कल्याण विभाग एवं भहिला बाल विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,

विधान सभा होत्र सं०

आवेदक का नाम

योजना का नाम जिसके के लिए आवेदन पत्र भरा गया है

टिप्पणी

सभी दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने तिथि

आवेदन पत्र सं०

पिता/पति का नाम

दिनांक

सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर  
(अधिकारी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में लिखें

### 3. राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना

- (अ) आवास का प्रमाण पत्र एवं आयु साक्ष आवश्यक दस्तावेज वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत दर्शाये गये दस्तावेजों के अनुरूप ;
- (ब) मृत्यु प्रमाण—पत्र निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य होंगे।  
जन्म एवं मृत्यु पंजीयकों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण—पत्र, दाह संस्कार भूमि/कब्रिस्तान में प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद, मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा प्रमाण—पत्र, यदि दिल्ली से बाहर मृत्यु हुई हो या किसी गांव में मृत्यु हुई हो, जहां दाह भूमि की कोई रसीद नहीं है तो गांव के खंड विकास अधिकारी का प्रमाण—पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है, शब परीक्षा प्रमाण—पत्र।

### 4. विधवा/निशाश्रित महिलाओं के लिए अृथिक सहायता

- (क) आवास का प्रमाण पत्र एवं आयु साक्ष आव यक दस्तावेज वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत दर्शाये गये।  
दस्तावेजों के अनुरूप।
- (ख) मृत्यु प्रमाण—पत्र के लिए राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दर्शाये गये दस्तावेजों के अनुरूप।
- (ग) निशाश्रित होने का प्रमाण पत्र (न्यायलय द्वारा जारी तलागक नामे की प्रतिलिपि)।
- (घ) पति के गुमशुदा होने की थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
- (घ) दिल्ली महिला आयोग में दर्ज शिकायत की प्रतिलिपि अथवा कोई दस्तावेज जो यह दर्शाये महिला अपने पति से अलग रहती है।
- \* विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदक की सालाना परिवारिक आय 75,000 रुपये से कम हो।
- \* अन्य सभी योजनाओं के लिए आवेदक की सालाना परिवारिक आय 60,000 रुपये से कम हो।

1. जिला नई दिल्ली, १, केनिंग लेन कल्टूएका नौपी भाग, नई दिल्ली।  
दूरभाष : 23074093

3. जिला उत्तर, निकट सुपर बाजार, गुलाबी बाग, दिल्ली।  
दूरभाष : 23652304

5. जिला उत्तर-पश्चिम-II, नूक बीर विद्यालय, रोहिणी, सेक्टर-५, नई दिल्ली।  
दूरभाष : 27056278

7. जिला पूर्व, जिलाई कलाई सेक्टर, स्लॉक-१०, जिला कॉलोनी, दिल्ली।  
दूरभाष : 22450147

9. जिला पश्चिम, नारो निवेशन बरिसर, जेल सेक्टर, हरि नगर, नई दिल्ली।  
दूरभाष : 28520952

2. जिला नव, नूक बीर विद्यालय, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002।  
दूरभाष : 23318323

4. जिला उत्तर-पश्चिम-I, नूक बीर विद्यालय, रोहिणी सेक्टर-५, नई दिल्ली।  
दूरभाष : 27040844

6. जिला उत्तर-पूर्व, सेक्टर अब्स, गुल तेंग बहादुर अस्पताल के सामने,  
दिल्ली गार्डन, दिल्ली। दूरभाष : 22582253

8. जिला दक्षिण, कल्टूएका निवेशन, जल विहार टर्मिनल के पास, लजपत नगर,  
नई दिल्ली। दूरभाष : 29819812

10. जिला दक्षिण-पश्चिम, सदोग सदन, कुमुब संस्थान एरिया, नई दिल्ली।  
दूरभाष : 26528175